बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसं0–9/आ0–03–10/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

विभागीय निदेश के अनुपालन में विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा दिनांक–13.12.2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड, एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चकसिकन्दर, वैशाली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में डॉ० श्री प्रकाश उपाध्याय, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड, वैशाली के विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने एवं प्रशासनिक नियंत्रण बनाने में विफल रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. डॉ० उपाध्याय के विरूद्ध कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं प्रशासनिक नियंत्रण बनाने में विफल रहने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभागीय ज्ञापन सं०–937(9) दिनांक–30.09.2024 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में डॉ० उपाध्याय द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे दिनांक–12.12.2023 को रात्रि पाली में आकस्मिक कक्ष में कार्य किये थे। दिनांक–13.12.2023 को पल्स पोलियों के चौथे दिन का दवा वितरण कार्य निष्पादित कर वे घर गए। इसी दौरान निरीक्षण होने के कारण वे अनुपस्थित पाए गए। डॉ० उपाध्याय द्वारा रात्रि में ड्यूटी करने का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है यथा–Emergency Duties एवं Real Time Photo आदि।

3. समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉ० उपाध्याय के स्पष्टीकरण से सहमत होते हुए डॉ० उपाध्याय के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं०–937(9) दिनांक–30.09.2024 द्वारा लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डॉ० श्री प्रकाश उपाध्याय, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड, वैशाली के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं०–937(9) दिनांक–30.09.2024 द्वारा लगाये गये आरोप से मुक्त किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–10/2024(स्वा0) 623(9) /पटना, दिनांकः– 09.6.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशकप्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

09.6.2025

(15)

प्रतिलिपिः–डॉ० श्री प्रकाश उपाध्याय, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
03/06/2025
सरकार के अवर सचिव।